राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1479/2023

सीमा शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिंगोठिया, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर।
4. रिचा शर्मा, अध्यापक ग्रेड–II संस्कृत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माहोली, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.05.2023
आदेश की दिनांक : 02.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पांडे, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिंगोठिया, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.10.2022 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिंगोठिया, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माहोली, करौली किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुर, धवाई, करौली से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माहोली, करौली अपीलार्थी के स्थान पर किया गया था। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समंजित करने के उद्देश्य से स्थानान्तरणाधीन मानते हुए अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर की, जिसमें अपील संख्या 772/2022 सीमा शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.10.2022 (अनुलग्नक–5) द्वारा विवादग्रस्त स्थानान्तरण

आदेश दिनांक 08.10.2022 का क्रियान्वयन अपीलार्थी की सीमा तक अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया तथा आदेश दिए गए अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे, जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार नये सिरे से स्थानान्तरण करता है, तो इसमें यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा। प्रत्यर्थी विभाग के चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिंगोठिया, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माहोली, करौली स्थानान्तणाधीन मानते हुए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लहसोडा, सवाईमाधोपुर किया गया, जो दिनांक 13.01.2023 अंकित कर बेकडेट में प्रतिबंध अवधि में जारी किया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.05.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 27.05.2023 (अनुलग्नक–2) का अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिंगोठिया, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक परिलाभ दिया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 की तिथि अंकित कर बेकडेट में अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अब 04 माह पश्चात् 27.05.2023 को कार्यमुक्त किया गया है। यदि आदेश दिनांक 13.01.2023 को जारी किया होता तो अपीलार्थी को उसी समय कार्यमुक्त कर दिया होता। अपीलार्थी अविवाहित महिला है। अपीलार्थी का वेतन हिंगोठिया, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर से ही उठ रहा है। प्रत्यर्थी विभाग ने मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समंजन करने की दृष्टि से अपीलाधीन आदेश जारी किया है। अतः इन आदेशों अनुलग्नक–1 एवं 2 का क्रियान्वयन स्थगित करने का अनुरोध किया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की तरफ से विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2023 को जारी हुआ उस समय स्थानान्तरण पर प्रतिबंध नहीं था एवं माननीय अधिकरण में अपीलार्थी द्वारा पूर्व में दायर अपील संख्या 772/2022 सीमा शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी का नियमानुसार अन्यत्र स्थानान्तरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।

अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले के बाहर नहीं किया है। अपीलार्थी सितम्बर 2020 से पदस्थापित है। अतः अपील खारिज करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 27.05.2023 (अनुलग्नक–2) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी के पक्ष में अन्य अपील 772/2022 में स्थगन आदेश प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.10.2022 (अनुलग्नक–4) जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिंगोठिया, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माहोली, करौली किया गया है, उस आदेश एवं उसकी अनुपालना में कार्यमुक्ति आदेश की क्रियान्विति स्थगित की गई है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 19.10.2022 (अनुलग्नक–5) में स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग नये सिरे से स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है। लिहाजा हमारा विनम्र मत है कि प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलाधीन स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिंगोठिया, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माहोली, करौली स्थानान्तणाधीन मानते हुए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लहसोडा, सवाईमाधोपुर किया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.05.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी आलोच्य आदेश से पूर्व हिंगोठिया में सितम्बर 2020 से पदस्थापित है। अपीलार्थी यह बताने में असफल रही है कि उसका स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में जारी किया गया है। उक्त स्थानान्तण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है तथा इसमें किसी प्रकार की दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। अपीलार्थी के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या–4 का पदस्थापन किया जाना समंजन (Accommodate) नहीं माना जा सकता है। अतः आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि या दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आलोच्य आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील बलहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपील ग्राह्यता के प्रक्रम में मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 02.06.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य